

Labour Department,

Chhattisgarh Government

Inspection under The Payment of Gratuity Act, 1972

(Complete guide for Inspection of Units)

LABOUR DEPARTMENT, CHHATTISGARH GOVERNMENT | Address: Block 3, Second Floor, Indravati Bhavan, Naya Raipur (Chhattisgarh), India Phone: 0771-2443513,14,15,16 Email - cglc2012@gmail.com

Table of Contents

1	Risk	Based Assessment	2
	1.1	Classification criteria	2
	1.2	Risk classification based inspection procedure	2
2	Insp	ection/Verification Procedure Steps	3
3	Che	cklist	8
4	Insp	ection Certificate format	8
5	Time	elines & other instructions for Inspector	8
6	Dow	vnload Inspection Report	9
7	Ann	exure 11	1

1 Risk Based Assessment

This manual is for the **Compliance Inspection under The Payment of Gratuity Act, 1972**. Classification criteria

1.1 Classification criteria

The Factory/ establishments will be categorised in High risk, Medium risk & Low risk entities based upon following risk parameters.

Table 1: Classification of Low Risk, Medium Risk & High Risk establishments in terms of verification required and deadline

Risk Parameters	Low Risk	Medium Risk	High Risk
Hazardous/Non-	Non-Hazardous	Non-Hazardous	Hazardous and
Hazardous			extremely hazardous
Lockouts/Strikes/Accident	No	No	Yes in any one area
Number of workers	Less than 250	More than 250	NA
Type of Inspection/	Exempted	Third Party	Departmental
Certification Required		Certification	Inspection
Deadline	30 June	30 June	30 June

The following link has the risk criteria to assess the risk in a unit/establishment http://www.cglabour.nic.in/ShramAyukt/EODSERVICES.aspx?ID=8

1.2 Risk classification based inspection procedure

Low Risk Industries: Low risk industries are exempt from inspection. However, the department on a random basis through computerized based allocation will inspect 5% of the low risk industries.


Medium Risk Industries: The medium risk industries will have the option of third party certification and these units will be exempt from departmental inspection. The deadline of submitting the Third Party Certificate is 30th June of the year. From the industries not opting for third party certification, 20% of medium risk units/establishments will be inspected on random basis through **computerized based allocation**.

High Risk Industries: High risk industries will have mandatory departmental inspection for all labour/factory related compliances.

2 Inspection/Verification Procedure Steps

A. For Third Party Certification

Detailed Third Party Certification Procedure



Stepwise process to upload the Third Party Verification Certificate

Go to http://cglabour.nic.in/

For new users,

Factory/establishment not registered on Single Window, please follow the two step process given below:

Step 1 User Registration: User registers himself once with Single window (SW) and creates an account.

Step 2 Unit Registration: User can register their units after logging into the Single Window. Each unit after registration will have a unique ID called "Udyam Aakanksha Number" (UAN).

For existing users,

i. Login using single window login credentials



ii. After successful login, the system will ask for Udyam Aakanksha Number (Unit Number) as follows, enter UAN of the establishment for which you are applying online services, click on Submit.



- iii. After submitting UAN, the dashboard of Labour department opens up, showing services available through Single Window
- iv. On e-dashboard, click on "Upload 3rd Party certificate"



v. Browse the file


Chhattisgarh Labour Department Government of Chhattisgarh
Lpload Your Sei Party Certificate

vi. Click on upload. "File Has Successfully Uploaded" will show on screen

Chhattisgarh Labou	IF Department
Sele	Upload Your 3rd Party Certificate ect File : Browse No file selected.

B. For Departmental Inspection

Detailed Inspection Procedure Steps:



✓ Based on the risk criteria as given above, factories/establishments get classified into Low, Medium and High risk by the **online system** itself as shown below:

		Thermal Power Station	Bilaspur Sipat Baloda Road, Bilaspur	mon	••	Netam	CircuitHouse		2.1.0		v	
6	2541/2541/G-FAB/DRG/2m(i)	BEEKAY ENGINEERING CORPORATION(UNIT-1)		HIGH	77	Mira Kadam	Raipur CircuitHouse	650	LI52	07/0 <mark>6/2016</mark>	7	167
7	2267/2267/B-17/DRG/2m(I)	ACETYLENE PLANT	Plot No. :- District:- DURGFull Adress :- BHILA STEEL PLANT,BHILAI,DIST- DURG,CG.	HIGH	77	Amar sinh Netam	Raipur CircuitHouse	1340	LI49	07/06/2016	8	167
8	2693/2693/A-29/DRG/2m(i)	PROPANE STORAGE & DISTRIBUTION PLANT	Plot No. :- District:- DURGFull Adress :- BHILAI STEEL PLANT,BHILAI	HIGH	77	Mira Kadam	Raipur CircuitHouse	1376	LI52	07/06/2016	9	167
9	4603/4603/B-1/BSP/2M(i)	Nova Iron & Steel Limited	Vill & Post- Dagori, Teh- Bilha	MEDIUM	8827270347	Anthony Tirkey	Bilaspur	846	bsp3	01/06/2016	11	324
10	2503/2503/B-3 & B- 17/DRG/2m(i)	BHILAI ENGINEERING CORPORATION LTD,UNIT-1	POST BOX NO.31,INDU STRIAL AREA,BHILAI,DIST-DURG.CG	MEDIUM	77	Dishaa <mark>Shukla</mark>	Durg	646	A SDIR 59	07/06/2016	12	167
11	4603/4603/B-1/BSP/2M(i)	Nova Iron & Steel Limited	Vill & Post- Dagori, Teh- Bilha	MEDIUM	77	R.G. Netam	Raipur CircuitHouse	846	LI43	07/06/2016	13	167
12	2503/2503/B-3 & B- 17/DRG/2m(i)	BHILAI ENGINEERING CORPORATION LTD,UNIT-1	POST BOX NO.31,INDU STRIAL AREA,BHILAI,DIST-DURG.CG	MEDIUM	77	Amar sinh Netam	Raipur CircuitHouse	646	LI49	07/ <mark>06/2016</mark>	14	167
13	4501/4501/G-O/B SP/2M(i)	M/S. DIGITAL WEIGHING SYSTEMS (P) LTD.	Plot No. :- , District:- BILA SPUR, Full Adress : INDU STRIAL AREA TIFRA	LOW	77	Nisha Netam	Bilaspur	5259	A SDIR66	07/06/2016	17	167
14	4838/4838/B-25/B SP/2M(i)	Nandan Agro & Forest Product Pvt. Ltd.	Sector-B, Industrial Area Sirgitti, Bilaspur	LOW	77	Nisha Baghel	Bilaspur	331	A SDIR56	07/06/2016	18	167
15	4878/4878/GWF/B SP/2M(i)	Shri Shyam Industries	Sector-B, Industrial Area, Sirgitti	LOW	77	Nisha Baghel	Bilaspur	678	A SDIR 56	07/06/2016	19	167
16	4674/4674/GSM/BSP/85	M/S. MAGAN BHAI PATEL SAW MILL	Plot No. :- , District:- BILA SPUR, Full Adress :- MUNGELI ROAD BILA SPUR	LOW	77	Nisha Netam	Bilaspur	5202	A SDIR66	07/06/2016	20	167
17	30847/30847/G-O/B SP/2M(i)	M/S. SAVIO ELECTRICAL INDUSTRIES	Plot No. :- , District:- BILA SPUR, Full Adress :- SECTOR-B, IDU STRIAL AREA	LOW	77	Nisha Baghel	Bilaspur	5266	A SDIR 56	07/06/2016	21	<mark>1</mark> 67

 ✓ Factories/establishments get allocated to departmental inspectors using the online system (as shown below):

छत्तीसगत् कार्यालय उपसंचालक औध्यो								\square		Insp	pecto	rs nan
कारखाना ऑनलाइन: Supe	r Ad	min 🔤	- ward		-	10-1	Per	User: dir	13 L			
Correspondent Details	AI	I Allocated F	Factory Detai	I			/					
 View Blank Records Factory Risk Master 	Sr. No.						Officer Name					InsAl
 View the Risk Based Industries Assigned Factory Inspection Time Report 	1	38011/38011/B-5/BSP /2M(i)	NTPC Ltd. Sipat Super Thermal Power Station	Sipat Super Thermal Power Station, PO- Ujjwal Nagar, Bilaspur Sipat Baloda Road, Bilaspur	HIGH	п	Nisha Baghel	Ellaspur	856	ASDIR56	07/06/2016	1
Form_A_1 Report	2	2541/2541/G-FAB /DRG/2m(i)	BEEKAY ENGINEERING CORPORATION(UNIT-1)	INDUSTRIAL ESTATE BHILAI,DIST-DURG	HIGH	9425204987	KK Dwivedi	Durg	650	drg3	01/06/2016	2
 Inpection Lock Out All Allocated Factory Detail 	3	2267/2267/B-17/DRG /2m(I)	ACETYLENE PLANT	Plot No. :- District:- DURGFull Adress :- BHILA STEEL PLANT,BHILAI,DIST-DURG,CG.	HIGH	9425204987	KK Dwivedi	Durg	<mark>1</mark> 340	drg3	01/06/2016	3
	4	2693/2693/A-29/DRG /2m(i)	PROPANE STORAGE & DISTRIBUTION PLANT	Plot No. :- District:- DURGFull Adress :- BHILAI STEEL PLANT,BHILAI	HIGH	77	Dishaa Shukla	Durg	1376	ASDIR59	07/06/2016	4
	5	38011/38011/B-5/BSP /2M(i)	NTPC Ltd. Sipat Super Thermal Power Station	Sipat Super Thermal Power Station, PO- Ujjwal Nagar, Bilaspur Sipat Baloda Road, Bilaspur	HIGH	77	R.G. Netam	Raipur CircuitHouse	856	L143	07/06/2016	6
	6	2541/2541/G-FAB /DRG/2m(i)	BEEKAY ENGINEERING CORPORATION(UNIT-1)	INDUSTRIAL ESTATE BHILAI,DIST-DURG	HIGH	77	Mira Kadam	Raipur CircuitHouse	650	LI52	07/06/2016	7
	7	2267/2267/B-17/DRG /2m(l)	ACETYLENE PLANT	Plot No. :- District:- DURGFull Adress :- BHILA STEEL PLANT,BHILAI,DIST-DURG,CG.	HIGH	77	Amar sinh Netam	Raipur CircuitHouse	1340	LI49	07/06/2016	8

After the inspection is duly carried out, the inspector uploads the inspection report within
 48 hours as shown below:

			- Standard	-	E	-	-0-			
		-		and they			Use	er:rpr9, Division: F	Raipur	
				Assi	gned Facto	ory Ir	spection			
			Factory Type: -	Select	7	1	Work Status:	Not Inspected *		
				Searc	h Inspected					
	LicenceNo	IndustryName	FullPostalCommunication	Factory Type	Mobile	Officer Name	r Officer address	assignDate	Remark	\frown
-	149/149/B- 1/RPR/2M(i)	P.D. INDUSTRIES PVT.LTD		LOW	9406231866	TK Sahu	Raipur CircuitHouse	01/06/2016	(Choose file No file chosen
		NUTAN ISPAT &	KHARORA ROAD, VILLAGE-	LOW	9406231866	TK Sahu	Raipur	01/06/2016		Choose file No file chosen
	1114/1114/B- 1/RPR/2m(i)	POWER PVT.LTD.	JAROUDA POST-TARRA			sanu	CIrcuitHouse			

3 Checklist

Following is the document checklist which the establishment/unit needs to present at the time of inspection.

For all	units
1.	Whether the establishment is registered under the provisions of the Act with the
	concerned Asst. Commissioner of Labour.
2.	Whether the notice of opening, closing, change as the case may be, has been given by
	the employer to the controlling authority.
3.	Whether abstract of Act and Rules has been displayed.
4.	Whether the nominations of the employers are accepted by the employer.
5.	Whether the copy of the notice regarding admissibility or non-admissibility of the claim
	of gratuity is sent the Controlling Authority.
6.	Whether any accident or death has taken place in the previous year.
7.	Nature of violation, if any found during the inspection.

4 Inspection Certificate format

Inspection Certificate format form for Departmental Certification in case of low, medium and high risk are available in the Annexure 1.

Please note that low risk industries have 5% inspection on random basis, medium risk have 20% on random basis while high risk necessarily have departmental inspection.

5 Timelines & other instructions for Inspector

- 1. The inspector must upload the Inspection Report within 48 hours of the physical inspection
- 2. Inspectors will be selected randomly through computerized allocation
- 3. Same inspector will not inspect the same establishment twice consecutively.

4. Users can login, view and download the inspection report uploaded by the inspector only after 48 hours of inspection.

6 Download Inspection Report

Downloading inspection report

Users can login, view and download the inspection report uploaded by the inspector only after 48 hours of inspection.

Stepwise Procedure


i. Login using single window login credentials

$\leftarrow \rightarrow \mathbf{C}$ C cglabour.nic.in/ShramAyuktHome.aspx		፻‰☆ ≡
	सगढ़ शासन श्रम विभाग e-श्रमिक सेवा	Î
इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस श्रमायुक्त		
ामायुक्त रोपाए) मुख्य सेवाएं) इव ऑफ ड्रांग बिल्मेस विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत स्थापनाओं के अनुहाति) दुवान एवं स्थापना पंजीयन एकट 1956 के अंतर	Password	
 संविदा अमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के अं भवत एवं अन्य सम्रिमीण कर्मकार अधिनियम, 1 अत्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार, अधिनियम, 1979 स्व-प्रमाणीकरण योजना पंजीयन आंधोरिक स्वास्थ्य एवं सरक्षा 	Forgot User Id or Password New User Registration	

ii. After successful login, the system will ask for Udyam Aakanksha Number (Unit Number) as follows, enter UAN of the establishment for which you are applying online services, click on Submit.


Welcome To Labour Department Thank you to using single window login	
User_Id: pratik512 UdyamAakanksha/Unit number: 11103126660256	Submit

- iii. After submitting UAN, the dashboard of Labour department opens up, showing services available through Single Window
- iv. On e-dashboard, click on "Download" under Inspection



7 Annexure 1

A. Format of Departmental Certification



- 03- यह कि कारखाने के निशेक्षण के दौरान मशीनों की ट्रांसमिशन मशीनरी जैसे पुल्ली, बेल्ट, ड्राइव्ह तथा गियर ड्राइव्ह आदि के उपर कारखाना अभिनियम की घास 21(1)(iv)(b) के प्रावधान अनुसार फेन्सिंग की उपयुक्त व्यवस्था नहीं पायी गयी । उक्त मशीनों के खुले गतिमान हिस्सों पर फेन्सिंग लगाये जिससे कि इनकी सभीप कार्यरत्त अभिको को दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना न रहे ।
- 04- यह कि कारखाने में कार्यरत अमिको के संबंध में कारखाना अधिनियम की धारा 62(2) सपठित नियम 96(1) के प्रावधान अनुसार हाजरी पंजी फार्म नं, 14 बनाई जानी चाहिए तथा नियम 118 के अनुसार प्रतिदिन अमिको की उपस्थिति दर्ज करने के उपरांत ही उन्हें कार्य में नियुक्त किया जाना सुनिश्चित करें ।
- 05- यह कि करखाना अधिनियम की धाल 83 सपछित नियम 102 के अनुसार सवैतनिक अवकाश पंजी कार्म में. 18 में बनी नहीं पायी गयी और न ही नियम 103 के अनुसार अमिकों को लीव्ह कार्ड फार्म नं. 19 में वितरीत किया गया । समस्त अभिकों के संबंध में संवैतनिक अवकाश पंजी फार्म में. 18 में बनाये तथा सवैतनिक अवकाश पत्रक फार्म नं. 19 में अभिको को उपलब्ध कराये ।
- 06- यह कि कारखाने में प्रथम उपचार की सामाग्री कारखाना अधिनियम की धारा 45(t) सपवित नियम 75- B के अनुसार उपलब्ध नहीं पायी गयी । श्रेघ ही नियमानुसार प्रथम उपचार की समाग्री रखे तथा कारखाने के आरत्पास स्थित चिकित्सालयों के नाम एवं दूरभाष नंबर भी प्रदर्शित करें ।

(के.के.द्वियेदी),

उप संचालक, औधोगिक स्याख्य एवं सुरक्षा एवं (उप मुख्य कारखाना निरीक्षक छ.ग.शासन) दुर्ग संभाग,दुर्ग (छ.ग.)

1			
1			
•	कार्यालय उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं	सरक्षा	
	(छ.ग.शासन 🛞 श्रम विभाग)	5	ч
	ए-101 सम्बनिंग कोई एकटेनेट, गल्से व्यलेज के पास, राधपुर नाका, दुर्ग		
	email id-ddihsdurg@gmail.com. Telephon N0.0788	22222416	-
		-2323845	
	कमांकः DDIHSDURG/I.R./2015/2367-6.Q दुर्ग,दिशांक 2_6- प्रति,	11.12	
	01- अधिमोगी मेंसर्स-	-	
	स्वित्य के प्रतिनिधित्व स्वित्य के सामग्रिप के प्रतिनिधित्व के सिरीक्षण	। रिपोर्ट की एक	
	प्रात प्रापंत करते हुवे निर्देशित किया जाता है कि उपरोवन जन्म	धनों के संबंध में	
	प्रात प्रापत करते हुये निर्देशित किया जाता है कि उपरोवत उल्ल अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तत करें तथा अ	feedow auten	
	प्रात प्रापंत करत हुये निर्देशित किया जाता है कि उपरोवत उल्ल अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करें तथा अ कर उपरोक्त उल्लेखित विन्युओ का पालन कर पालन प्रतिवेदन	ावस्यक कार्यवाही एक सम्प्राह की	
	प्रात प्रापंत करते हुये निर्देशित किया जाता है कि उपरोवत उल्ल अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करें तथा अ कर उपरोवत उल्लेखित बिन्धुओं का पालन कर पालन प्रतिवेदन अवधि में प्रस्तुत करें । उल्लेखनीय है उललंघन जारी स्तने प	ावस्यक कार्यवाही एक सम्प्राह की	
	प्रात प्रापत करते हुये निर्देशित किया जाता है कि उपरोवत उल्ल अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तत करें तथा अ	ावस्यक कार्यवाही एक सम्प्राह की	
	प्रात प्रापत करते हुये निर्देशित किया जाता है कि उपरोवत उल्ल अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करें तथा अ कर उपरोवत उल्लेखित बिन्धुओ का पालन कर पालन प्रतिवेदन अवधि में प्रस्तुत करें । उल्लेखनीय है उललंघन जारी रहने व यैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी ।	ावस्यक कार्यवाही एक सम्प्राह की	
	प्रात प्रापत करत हुये निर्देशित किया जाता है कि उपरोवत उल्ल अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करें तक्षा अ कर उपरोवत उल्लेखित बिन्धुओ का पालन कर पालन प्रतिवेदन अवधि में प्रस्तुत करें । उल्लेखनीय है उललंघन जारी रहने प येद्यानिक कार्यवाही की जावेगी । 01-	ावश्यक कार्यवाही एक सप्ताह की र आपके विरुद्ध	
	प्रांत प्रापत करते हुये निर्देशित किया जाता है कि उपरोवत उल्ल अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करें तथा अ कर उपरोवत उल्लेखित बिन्धुओ का पालन कर पालन प्रतिवेदन अवधि में प्रस्तुत करें । उल्लेखनीय है उललंघन जारी रहने प येद्यानिक कार्यवाही की जावेगी । 01 कारखाना प्रबंधक मेसर्स- 1	ावश्यक कार्यवाही एक सप्ताह की र आपके विरुद्ध	
	प्रांत प्रापत करते हुये निर्देशित किया जाता है कि उपरोवत उल्ल अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करें तक्षा अ कर उपरोवत उल्लेखित बिन्धुओ का पालन कर पालन प्रतिवेदन अवधि में प्रस्तुत करें । उल्लेखनीय है उललंघन जारी रहने प येद्यानिक कार्यवाही की जावेगी । 01- 01- एक प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि उपरोवन क	ावश्यक कार्यवाही एक सप्ताह की र आपके विरुद्ध रीक्षण रिपोर्ट की	
	प्रांत प्रापत करते हुवे निर्देशित किया जाता है कि उपरोवत उल्ल अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करें तक्षा अ कर उपरोवत उल्लेखित बिन्धुओ का पालन कर पालन प्रतिवेदन अवधि में प्रस्तुत करें । उल्लेखनीय है उललंघन जारी रहने घ येद्यानिक कार्यवाडी की जावेगी । 01- 01- कारखाना प्रबंधक मेसर्स- भार नि एक प्रति प्रेषित करते हुवे निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त उल् में अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्ता करें	ावश्यक कार्यवाही एक सप्ताह की र आपके विरुद्ध रीक्षण रिपोर्ट की लोधनों के संबंध	
	प्रांत प्रापत करते हुवे निर्देशित किया जाता है कि उपरोवत उल्ल अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करें तथा अ कर उपरोवत उल्लेखित दिन्दुओ का पालन कर पालन प्रतिवेदन अवधि में प्रस्तुत करें । उल्लेखनीय है उललंघन जारी रहने प येद्यानिक कार्यवाही की जावेगी । 01- 01- कारखाना प्रबंधक मेसर्स- भी पक प्रति प्रेपित करते हुवे निर्देशित किया जाता है कि उपरोवत उत् में अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करें कार्यवाही कर उपरोक्त उल्लेखित विन्दुओं का पालन कर पाल- राप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करें । उल्लोखनीय है प्रलबंधन जारी	ावश्यक कार्यक्रही एक सप्ताह की र आपके विरुद्ध रीक्षण रिपोर्ट की रूपिगों के संबंध तथा आवश्यक	
	प्रांत प्रापत करते हुवे निर्देशित किया जाता है कि उपरोवत उल्ल अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करें तक्षा अ कर उपरोवत उल्लेखित बिन्धुओ का पालन कर पालन प्रतिवेदन अवधि में प्रस्तुत करें । उल्लेखनीय है उललंघन जारी रहने घ येद्यानिक कार्यवाडी की जावेगी । 01- 01- कारखाना प्रबंधक मेसर्स- भार नि एक प्रति प्रेषित करते हुवे निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त उल् में अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्ता करें	ावश्यक कार्यक्रही एक सप्ताह की र आपके विरुद्ध रीक्षण रिपोर्ट की रूपिगों के संबंध तथा आवश्यक	
	प्रांत प्रापत करते हुवे निर्देशित किया जाता है कि उपरोवत उल्ल अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करें तथा अ कर उपरोवत उल्लेखित दिन्दुओ का पालन कर पालन प्रतिवेदन अवधि में प्रस्तुत करें । उल्लेखनीय है उललंघन जारी रहने प येद्यानिक कार्यवाही की जावेगी । 01- 01- कारखाना प्रबंधक मेसर्स- भी पक प्रति प्रेपित करते हुवे निर्देशित किया जाता है कि उपरोवत उत् में अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करें कार्यवाही कर उपरोक्त उल्लेखित विन्दुओं का पालन कर पाल- राप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करें । उल्लोखनीय है प्रलबंधन जारी	ावश्यक कार्यक्रही एक सप्ताह की र आपके विरुद्ध रीक्षण रिपोर्ट की रूपिगों के संबंध तथा आवश्यक	
	प्रांत प्रापत करते हुवे निर्देशित किया जाता है कि उपरोवत उल्ल अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करें तथा अ कर उपरोवत उल्लेखित दिन्दुओ का पालन कर पालन प्रतिवेदन अवधि में प्रस्तुत करें । उल्लेखनीय है उललंघन जारी रहने प येद्यानिक कार्यवाही की जावेगी । 01- 01- कारखाना प्रबंधक मेसर्स- भी पक प्रति प्रेपित करते हुवे निर्देशित किया जाता है कि उपरोवत उत् में अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करें कार्यवाही कर उपरोक्त उल्लेखित विन्दुओं का पालन कर पाल- राप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करें । उल्लोखनीय है प्रलबंधन जारी	ावश्यक कार्यक्रही एक सप्ताह की र आपके विरुद्ध रीक्षण रिपोर्ट की रूपिगों के संबंध तथा आवश्यक	
	प्रांत प्रापत करते हुवे निर्देशित किया जाता है कि उपरोवत उल्ल अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करें तक्षा अ कर उपरोवत उल्लेखित बिन्धुओ का पालन कर पालन प्रतिवेदन अवधि में प्रस्तुत करें । उल्लेखनीय है उललंघन जारी सहने प येद्यानिक कार्यवाही की जावेगी । 01- - कारखाना प्रबंधक मेसर्स- क्षिप्त प्रेषित करते हुवे निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त उल् में अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करें कार्यवाही कर उपरोक्त उल्लेखित किन्दुओं का पालन कर पाल- सप्ताह की अबधि में प्रस्तुत करें । उल्लेखनीय है उललंघन जारी विरूद वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी ।	ावश्यक कार्यक्रही एक सप्ताह की र आपके विरुद्ध रीक्षण रिपोर्ट की रूपिगों के संबंध तथा आवश्यक	
	प्रांत प्रापत करते हुवे निर्देशित किया जाता है कि उपरोवत उल्ल अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करें तक्षा अ कर उपरोवत उल्लेखित बिन्धुओ का पालन कर पालन प्रतिवेदन अवधि में प्रस्तुत करें । उल्लेखनीय है उललंघन जारी स्हने प येद्यानिक कार्यवाही की जावेगी । 01 कारखाना प्रबंधक मेसर्स- भार नि एक प्रति प्रेषित करते हुवे निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त उ में अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करें कार्यवाही कर उपरोक्त उल्लेखित किन्दुओं का पालन कर पाल- राप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करें । उल्लेखनीय है उललंघन जारी विरूद वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी ।	ावश्यक कार्यक्रही एक सप्ताह की र आपके विरुद्ध रीक्षण रिपोर्ट की रूपिगों के संबंध तथा आवश्यक	
	प्रांत प्रापत करते हुवे निर्देशित किया जाता है कि उपरोवत उल्ल अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करें तक्षा अ कर उपरोवत उल्लेखित बिन्धुओ का पालन कर पालन प्रतिवेदन अवधि में प्रस्तुत करें । उल्लेखनीय है उललंघन जारी रहने प येद्यानिक कार्यवाही की जावेगी । 01 कारखाना प्रबंधक मेसर्स- भार नि एक प्रति प्रेषित करते हुवे निर्देशित किया जाता है कि उपरोवत उ में अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करें कार्यवाही कर उपरोक्त उल्लेखित बिन्धुओं का पालन कर पाल- राप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करें । उल्लेखनीय है उललंघन जारी विरूद वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी । (के.के.द्वियेदी), उप संचालक.	ावश्यक कार्यवाही एक सप्ताह की र आपके विरुद्ध रीक्षण रिपोर्ट की लोधनों के संबंध तथा आवश्यक गथा आवश्यक प्रतिवेदन एक रहने पर आपके	•
	प्रांत प्रापत करत हुवे निर्देशित किया जाता है कि उपरोवत उल्ल अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करें तथा अ कर उपरोवत उल्लेखित बिन्धुओ का पालन कर पालन प्रतिवेदन अवधि में प्रस्तुत करें । उल्लेखनीय है उललंघन जारी सहने प येद्यानिक कार्यवाही की जावेगी । 01 कारखाना प्रबंधक मेसर्स- एक प्रति प्रेषित करते हुवे निर्देशित किया जाता है कि उपरोवत उल में अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करें कार्यवाही कर उपरोक्त उल्लेखित बिन्धुओं का पालन कर पाल- संप्लाह की अवधि में प्रस्तुत करें । उल्लेखनीय है उललंघन जारी बिरूद वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी । प्रिल्ज-दिने (के.के.द्वियेदी), उप संघालक, औद्योगिक स्यास्थ्य एवं	ावश्यक कार्यक्रही एक सप्ताह की र आपके विरुद्ध रीक्षण रिपोर्ट की रूपिगों के संबंध तथा आवश्यक प्रतिधेदन एक रहने पर आपके सुरक्षा एवं	
	प्रांत प्रापत करत हुथे निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त उल्ल अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करें तक्षा अ कर उपरोक्त उल्लेखित बिन्धुओ का पालन कर पालन प्रतिवेदन अवधि में प्रस्तुत करें । उल्लेखनीय है उललंघन जारी सहने प येद्यानिक कार्यवाही की जावेगी । 01 कारखाना प्रबंधक मेसर्स- पिक प्रति प्रेषित करते हुवे निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त उल में अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करें कार्यवाही कर उपरोक्त उल्लेखित किन्दुओं का पालन कर पाल- संप्लाह की अबधि में प्रस्तुत करें । उल्लेखनीय है उललंघन जारी विरूद वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी । पिइन्द्र वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी । जप संपालक, अंद्योगिक स्वास्थ्य एवं प्	ावश्यक कार्यक्रही एक सप्ताह की र आपके विरुद्ध रीक्षण रिपोर्ट की र्लधनों के संबंध तथा आवश्यक । प्रतिधेदन एक रहने पर आपके सुरक्षा एवं 5 छ.ग.शासन)	
	प्रांत प्रापत करत हुवे निर्देशित किया जाता है कि उपरोवत उल्ल अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करें तथा अ कर उपरोवत उल्लेखित बिन्धुओ का पालन कर पालन प्रतिवेदन अवधि में प्रस्तुत करें । उल्लेखनीय है उललंघन जारी सहने प येद्यानिक कार्यवाही की जावेगी । 01 कारखाना प्रबंधक मेसर्स- एक प्रति प्रेषित करते हुवे निर्देशित किया जाता है कि उपरोवत उल में अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करें कार्यवाही कर उपरोक्त उल्लेखित बिन्धुओं का पालन कर पाल- संप्लाह की अवधि में प्रस्तुत करें । उल्लेखनीय है उललंघन जारी बिरूद वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी । प्रिल्ज-दिने (के.के.द्वियेदी), उप संघालक, औद्योगिक स्यास्थ्य एवं	ावश्यक कार्यक्रही एक सप्ताह की र आपके विरुद्ध रीक्षण रिपोर्ट की र्लधनों के संबंध तथा आवश्यक । प्रतिधेदन एक रहने पर आपके सुरक्षा एवं 5 छ.ग.शासन)	
	प्रांत प्रापत करत हुथे निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त उल्ल अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करें तक्षा अ कर उपरोक्त उल्लेखित बिन्धुओ का पालन कर पालन प्रतिवेदन अवधि में प्रस्तुत करें । उल्लेखनीय है उललंघन जारी सहने प येद्यानिक कार्यवाही की जावेगी । 01 कारखाना प्रबंधक मेसर्स- पिक प्रति प्रेषित करते हुवे निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त उल में अपना लिखित स्पष्टीकरण 7 दिनों की अवधि में प्रस्तुत करें कार्यवाही कर उपरोक्त उल्लेखित किन्दुओं का पालन कर पाल- संप्लाह की अबधि में प्रस्तुत करें । उल्लेखनीय है उललंघन जारी विरूद वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी । पिइन्द्र वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी । जप संपालक, अंद्योगिक स्वास्थ्य एवं प्	ावश्यक कार्यक्रही एक सप्ताह की र आपके विरुद्ध रीक्षण रिपोर्ट की र्लधनों के संबंध तथा आवश्यक । प्रतिधेदन एक रहने पर आपके सुरक्षा एवं 5 छ.ग.शासन)	